विज्ञप्ति

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–I/1092245/2025 /3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद फिरोजाबाद के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में सहायिकाओं की मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। परियोजनावार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण				
		सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल रिक्तियों का योग
1	शहर प्रथम	49	31	19	0	99
2	शहर द्वितीय	74	46	38	0	158
3	फिरोजाबाद ग्रामीण	48	37	15	0	100
4	टूण्डला	51	32	22	0	105
5	खैरगढ	26	7	10	0	43
6	शिकोहाबाद	22	30	12	0	64
7	अरांव	25	9	12	0	46
8	एका	39	26	27	0	92
9	मदनपुर	39	17	16	0	72
10	कोटला	74	36	23	0	133
11	जसराना	28	11	13	0	52
योग		475	282	207	0	964

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

1– विज्ञापित पदों हेतु केवल **महिला अभ्यर्थी** ही पात्र होगें।

2– चयन की समस्त कार्यवाही एवं विज्ञप्ति की समस्त नियम व शर्ते बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग उ0प्र0 के शासनादेश संख्या–I/1092245/2025 /3313/58–1–2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।

3– आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।

4– आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड (शहरी)/ग्राम सभा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य होगा।

5– आवेदिका की **दिनांक 01 जुलाई 2025** को न्यूनतम **आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35** वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी एवं सामान्य जाति के किसी भी अभ्यर्थियों को पृथक से आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नही होगी।

6– विज्ञाप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित फार्म समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफ लाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नही किये जायेगें।

7– ऑनलाइन आवेदन करने मे कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

8– आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्वक भरना होगा। आवेदिका द्वारा नवीनतम फोटो, हस्ताक्षर एवं समस्त अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हो।

9– विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की **अन्तिम तिथि 16.12.2025 मध्य रात्रि 12:00 बजे** तक होगी।

10– विधवा/तलाकशुदा/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थी को शासनादेश में निहित व्यवस्था के क्रम में चयन में वरीयता दी जायेगी। विधवा के सम्बन्ध में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निगम द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र तथा परिवार पंजिका की प्रमाणित प्रति ही मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में मा0न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश ही मान्य होगा।

11– आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के स्तर से निर्गत ऑन लाइन प्रमाण–पत्र ही मान्य होंगे।

12– उपरोक्त पदों की अर्हता आवेदन की प्रकिया एवं विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें तथा upanganwadibharti.in से उपरोक्त शासनादेश डाउनलोड कर ठीक प्रकार से पढ़ ले। अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालय/जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, विकास भवन फिरोजाबाद से जानकारी प्राप्त कर लें।

13– आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।

14– अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि जनित हानि से बचा जा सकें।

15– आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर,2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा। आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या– 3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑन लाइन सत्यापन सम्भव हो सके। इस संबंध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

16– विज्ञापित पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है, जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।

(केसरी नन्दर तिवारी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांकः–2ग्री-2089 /जि0का0अधि0/आं0बा0च0/2025–26 दिनांकः 26 नवम्बर,2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी फिरोजाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद।
4. नगर आयुक्त फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से विज्ञप्ति को सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद फिरोजाबाद से इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से विज्ञप्ति को सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से विज्ञप्ति को सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि अपने कार्यालय के सूचना पटल पर विज्ञप्ति चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. जिला सूचना अधिकारी फिरोजाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति न्यूनतम् दरों पर अमर उजाला एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र एवं जनपद के एक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
फिरोजाबाद।